



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267032
CG-DL-E-18102025-267032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4572]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4572]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2025

सं. 45 /2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022- अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4701(अ).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के निम्नलिखित आइटीसी एचएस कोडों की आयात नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करती है:-

आइटीसी एचएस कोड	विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
29162020	--- बिफेन्थ्रिन (आइएसओ), प्रालेथ्रिन	मुक्त	आयात कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय	कीटनाशकों का आयात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशक

29242970	--- इस अध्याय के अनुपूरक नोट 6 में निर्दिष्ट वस्तुएँ	मुक्त	कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति द्वारा जारी आयात परमिट के अधीन होगा।	बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआई बी एंड आरसी) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन होगा तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत आयात पर प्रतिबंध नहीं होगा।
29302010	--- इस अध्याय के अनुपूरक नोट 8 में निर्दिष्ट वस्तुएँ	मुक्त		
29309092	--- --- अन्य : ---- इस अध्याय के अनुपूरक नोट 9 में निर्दिष्ट वस्तुएँ	मुक्त		
29329920	--- इमामेक्टिन बेंजोएट (आईएसओ), एबामेक्टिन, डाइनोटेफ्यूरॉन	मुक्त		
29332960	--- इस अध्याय के अनुपूरक नोट 12 में निर्दिष्ट वस्तुएँ	मुक्त		
29333917	--- पाइरीडीन के व्युत्पन्न: ---- क्लोरेंट्रानिलिप्रोले (आईएसओ)	मुक्त		
29333921	--- पाइरीडीन के व्युत्पन्न: ---- एसिटामिप्रिड (आईएसओ)	मुक्त		
29333922	--- पाइरीडीन के व्युत्पन्न: ---- इमाज़ेथा पायर (आईएसओ)	मुक्त		
29335950	--- इस अध्याय के अनुपूरक नोट 15 में निर्दिष्ट वस्तुएँ	मुक्त		
29339920	--- इस अध्याय के अनुपूरक नोट 17 में निर्दिष्ट वस्तुएँ	मुक्त		
29349930	--- बुप्रोफेज़िन (आईएसओ)	मुक्त	यदि कीटनाशक अधिनियम और उसके निर्माण के तहत पंजीकृत है और आयात के लिए प्रतिबंधित नहीं है	
29355010	---फ्लुबेंडियामाइड (आईएसओ)	मुक्त		
38089111	--- एल्युमिनियम फॉस्फेट (उदाहरण के लिए फॉस्टोक्सिन)	मुक्त		
38089112	--- कैल्शियम साइनाइड	मुक्त		
38089113	--- डी.डी.वी.पी. (डाइमिथाइल-डाइक्लोरो-विनाइल-फॉस्फेट)	मुक्त		
38089121	--- डायजिनल	मुक्त		
38089122	--- मिथाइल ब्रोमाइड	प्रतिबंधित		
38089123	---डाइमैथोएट, तकनीकी ग्रेड	मुक्त		
38089124	--- मेलाथियॉन	मुक्त		
38089131	---एंडोसल्फान, तकनीकी ग्रेड	मुक्त		

38089132	---क्विनाल फॉस	मुक्त		
38089133	---आइसोप्रोटुरॉन	मुक्त		
38089134	---फैथियन	मुक्त		
38089135	---साइपरमेथ्रिन, तकनीकी ग्रेड	मुक्त		
38089136	---एलेथ्रिन	मुक्त		
38089137	--- सिंथेटिक पाइरेथ्रम	मुक्त		
38089191	--- अन्य ---- मक्खियों, मच्छरों जैसे कीड़ों के लिए विकर्षक	मुक्त		
38089192	--- अन्य ---- कीटनाशकों से संसेचित या लेपित कागज जैसे डी.डी.टी. लेपित कागज	मुक्त		
38089199	--- अन्य ---- अन्य	मुक्त		
38089210	--- मनेब	मुक्त		
38089220	--- सोडियम पेंटा क्लोरो फ़िनेट (सैंट्रो ब्राइट)	मुक्त		
38089230	--- थिरम (टेट्रामेथिलथियूरम डाइसल्फ़ाइड)	मुक्त		
38089240	--- जिनेब	मुक्त		
38089250	--- कॉपर ऑक्सीक्लोराइड			
38089299	--- अन्य: ---- अन्य			
38089310	--- क्लोरोमेथिल फेनोजी एसिटिक एसिड (एम.सी.पी.ए)	मुक्त		
38089320	--- 2:4 डाइक्लोरोफेनोजी एसिटिक एसिड और इसके एस्टर	मुक्त		
38089350	--- खरपतवारनाशक और खरपतवार नाशक एजेंट	मुक्त		
38089141	--- इस अध्याय के पूरक नोट 1 और 2 में निर्दिष्ट वस्तुएं: ---- इस अध्याय के पूरक नोट 1 में निर्दिष्ट वस्तुएं	मुक्त	आयात अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं	
38089142	--- इस अध्याय के पूरक नोट 1 और 2 में निर्दिष्ट वस्तुएं: ---- इस अध्याय के पूरक नोट 2 में निर्दिष्ट वस्तुएं	मुक्त	पंजीकरण समिति द्वारा जारी आयात परमिट के अधीन होगा।	
29314930	--- ग्लाइफोसेट (आइएसओ),	मुक्त	आयात अध्याय की	क) कीटनाशकों का आयात कृषि एवं किसान

	फोसेटाइल-अल, ग्लूफोसिनेट अमोनियम, ग्लाइफोसेट पोटेथियम सॉल्ट		नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति द्वारा जारी आयात परमिट के अधीन होगा।	कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबीएंडआरसी) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन होगा और कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत आयात पर प्रतिबंध भी नहीं होगा। ख) 1289/- रुपये प्रति किलोग्राम से कम सीआईएफ मूल्य पर ग्लूफोसिनेट और उसके सॉल्ट्स (शुद्धता - न्यूनतम 95% डब्ल्यू/डब्ल्यू) का आयात "प्रतिबंधित" है: ग) तथापि, 1289/- रुपये प्रति किलोग्राम या उससे अधिक के सीआईएफ मूल्य पर 'ग्लूफोसिनेट और उसके सॉल्ट्स' का आयात "मुक्त" है। घ) उक्त नीतिगत शर्तों की समीक्षा अधिसूचना संख्या 54/2024 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद की जाएगी।
38089361	--- इस अध्याय के पूरक नोट 7 और 8 में निर्दिष्ट वस्तुएं: ---- इस अध्याय के पूरक नोट 7 में निर्दिष्ट वस्तुएं	मुक्त		

इस अधिसूचना का प्रभाव:

आईटीसी (एचएस), 2022- अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड की आयात नीतिगत शर्तों में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एम-21/पीसी-2[ए]/भाग-I/ई-31913]

अजय भादू, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2025

No. 45/2025-26

Subject: Amendment in Import Policy Condition of specific ITC (HS) Codes of Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy) -reg.

S.O. 4701(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Central Government hereby amends the import Policy condition of following ITC HS Codes Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy) with immediate effect:

ITC HS codes	Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
29162020	--- Bifenthrin (ISO), prallethrin	Free	Import shall be subject to an import permit issued by Central Insecticide Board & Registration Committee	Subject to Policy Condition no. 07 of this Chapter.
29242970	--- Goods specified in Supplementary Note 6 to this	Free		

	Chapter		under Ministry
29302010	--- Goods specified in Supplementary Note 8 to this Chapter	Free	Of Agriculture
29309092	--- --- Other : --- --- Goods specified in Supplementary Note 9 to this Chapter	Free	
29329920	--- Emamectin benzoate (ISO), abamectin, dinotefuron	Free	
29332960	--- Goods specified in Supplementary Note 12 to this Chapter	Free	
29333917	--- Derivatives of pyridine: -- -- Chlorantraniliprole (ISO)	Free	
29333921	--- Derivatives of pyridine: -- -- Acetamiprid (ISO)	Free	
29333922	--- Derivatives of pyridine: -- -- Imazethapyr (ISO)	Free	
29335950	--- Goods specified in Supplementary Note 15 to this Chapter	Free	
29339920	--- Goods specified in Supplementary Note 17 to this Chapter	Free	
29349930	--- Buprofezin (ISO)	Free	
29355010	--- Flubendiamide (ISO)	Free	
38089111	--- Aluminium phosphate (for example phostoxin)	Free	If registered and not prohibited for import under insecticides Act and formulation thereof
38089112	--- Calcium cyanide)	Free	
38089113	--- D.D.V.P. (Dimethyle-dichloro-vinyl-phosphate)	Free	
38089121	--- Diagonal	Free	
38089122	--- Methyl bromide	Restricted	
38089123	---Dimethoate, technical grade	Free	
38089124	---Melathion	Free	
38089131	---Endosulphan, technical grade	Free	
38089132	---Quinal phos	Free	
38089133	---Isoproturon	Free	
38089134	---Fenthion	Free	
38089135	---Cipermethrin, technical grade	Free	
38089136	---Allethrin	Free	
38089137	--- Synthetic pyrethrum	Free	

38089191	--- Other ---- Repellants for insects such as flies, mosquito	Free		
38089192	--- Other ---- Paper impregnated or coated with insecticides such as D.D.T coated paper	Free		
38089199	--- Other ---- Other	Free		
38089210	--- Maneb	Free		
38089220	--- Sodium penta chlorophenate (santrobrite)	Free		
38089230	--- Thiram (tetra methyl thiuram disulphide)	Free		
38089240	--- Zineb	Free		
38089250	--- Copper oxychloride			
38089299	--- Other: ---- Other			
38089310	--- Chloromethyl phenoxy acetic acid (M.C.P.A)	Free		
38089320	--- 2:4 Dichloro phenoxy acetic acid and its esters	Free		
38089350	--- Weedicides and weed killing agents	Free		
38089141	--- Goods specified in Supplementary Note 1 and 2 to this Chapter: ---- Goods specified in Supplementary Note 1 to this Chapter	Free	Import shall be subject to an Import permit Issued by	
38089142	--- Goods specified in Supplementary Note 1 and 2 to this Chapter: ---- Goods specified in Supplementary Note 2 to this Chapter	Free	Central Insecticide Board & Registration Committee Under Ministry Of Agriculture As per policy condition 04 of the chapter.	
29314930	--- Glyphosate (ISO), fosetyl-al, glufosinate ammonium, glyphosate potassium salt	Free	Import shall be subject to an import permit issued by central Insecticide board & registration Committee under Ministry of Agriculture as per policy condition 04 of the chapter.	a) The import of the pesticides will be subject to a Certificate of Registration issued by Central insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC) under Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and also non- prohibition for import under Insecticides Act, 1968.
38089361	--- Goods specified in Supplementary Note 7 and 8 to this Chapter: ---- Goods specified in Supplementary Note 7 to this Chapter	Free		b) Import of Glufosinate and its salts' (Purity – Minimum 95% w/w)

				is “Restricted: of CIF Value below Rs. 1289/- per Kg. c) However, import of ‘Glufosinate and its salts’ is “Free” for CIF value of Rs. 1289/- or above per Kg. d) The said Policy condition shall be reviewed after a period of one year w.e.f the date of publication of Notification No. 54/2024
--	--	--	--	---

Effect of this Notification:

Import Policy Condition of specific ITC (HS) Codes of Chapter 29 and 38 of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy) is amended with immediate effect.

This issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-21/PC-2[A]/Part-I/E-31913]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade